(लोक सभा द्वारा 8.12.2021 को पारित रूप में)

2021 का विधेयक संख्यांक 144-सी

[दि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस (सेलरिज़ एंड कंडिशन्स आफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2021

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम ।

अध्याय 2

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 का संशोधन

धारा 17ख का संशोधन ।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 17ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1954 का 28

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन की अतिरिक्त मात्रा या कुटुंब पेंशन के लिए कोई हकदारी सदैव उस मास की पहली तारीख, जिसको पेंशन भोगी या कुटुंब पेंशन भोगी, मान के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर लेता है, से होगी और सदैव उस तारीख से समझी जाएगी ।"

अध्याय 3

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का संशोधन

धारा 16ख का संशोधन ।

3. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 की धारा 16ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1958 का 41

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन की अतिरिक्त मात्रा या कुटुंब पेंशन के लिए कोई हकदारी सदैव उस मास की पहली तारीख, जिसको पेंशन भोगी या कुटुंब पेंशन भोगी, मान के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर लेता है, से होगी और सदैव उस तारीख से समझी जाएगी ।"